रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 1973/भाद्र 27, 1895

No 319] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1973/BHADRA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September 1973

S.O. 505(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1973.

2. **Amendment of rule** 56.—In rule 56 of the Conduct of Elections Rules, 1961, in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) if it bears no mark at all or, to indicate the vote, it bears a mark elsewhere than on or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made otherwise than with the instrument supplied for the purpose, or."

[No. F. 7(10)/73-Leg. II.]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1973

एस० ओ० 505 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम** :—ये नियम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1973 कहलाएंगे।

2. नियम 56 का संशोधन :—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) यदि उस पर कोई भी चिह्न नहीं हो या, मत को दर्शाने के लिए, मत-पत्र के सामने के भाग पर किसी भी एक उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट से अन्यत्र कहीं भी चिह्न हो या, उस पर ऐसा चिह्न हो जो उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण से बनाया गया हो, या"

[सं० एफ० 7(10)/73-विधा० II]

के० के० सुन्दरम, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973